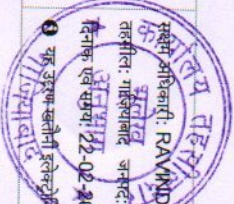


दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति वाटस. 2 सन् 2011 में उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसार निम्नलिखित कुश्कलपो की भूमि पर दि. 10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है। स्तम्भ 1 में उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों (का/ की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 में उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के नाम खतौनी में दर्ज की जाये विवरण निम्नवत है :- ग्राम सूरनगर ,280. मै.बांके गिहरी दम्नहोम्स प्रा.लि. 302 अर.जी. याल एल0एस0सी0 सै-9 रोहिणी नई दिल्ली 85 द्वारा डायरेक्टर जय कुमार अग्रवाल पुत्र रविन्द कुमार अग्रवाल निवासी ए 5 आकृति अम्पटीमेन्ट 37 सलेकचन्द कालोनी गांधीनगर गा.बाद , 281. सजय जैन पुत्र हरिशचन्द जैन निवासी बी 302 आर्थ अम्पटीमेन्ट सै-15 रोहिणी दिल्ली, 282. अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी 248 बौहजा गाजियाबाद , खाला नं. 1102 खसरा नं. 962 अध्याप्ति भूमि का नाम क्षेत्रफल 0.1267 है. मा.पु. जो कम की जायेगी 6.36 रु. , फसल व सन सबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ.कलेक्टरभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का. 26.2.15 ।							
कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव आठ तीन अठ शून्य (हैक्टेयर)	कुल भू-राजस्व - चार दो दशमलव एक शून्य रुपये	1	0.8380	₹ 42.10	9	0
Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN उपरोक्त उदरण खतौनी का वेबपुब्लिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।							



प्रमाण अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN
तहसील: गाजियाबाद जनपद: गाजियाबाद
दिनांक एवं समय: 22-02-2018 10:24:54

यह उदरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित है।



उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 216964201802309

ग्राम क्रमांक : 216964		ग्राम का नाम / परगना : नूनार(लोनी)	तहसील : गाजियाबाद	जनपद : गाजियाबाद	फसली वर्ष : 1421-1426	भाग : 1		
खता खतौनी क्रम संख्या	खतेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परीवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी	
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13	
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।								
01067	मै.बांके बिहारी इन्फ्रालेम्स प्रा. / लि., 302 अम.जी.माल एल.एस.सी. / सै. 9रोहिणी, नई दिल्ली द्वारा डायेक्टर जयकुमार अग्रवाल / रविन्द्र कुमार अग्रवाल / A-5 अकृति अपा. 37 सलेकचन्द . / . / कालौनी, गांधीनगर, गा.बाद संजय जैन / हरीशचन्द जैन / B-302 आर्वा अपार्ट. सै. 15 रोहिणी .. / . / दिल्ली	1419फ	962मि	0.8380		1422-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी/ सहा0 कले0 (प्रथम श्रेणी) गा.बाद बाद स. T20141128013875 अन्तर्गत धारा 143 उ.प्र. ज.हि.अधि. ग्राम नूनार परगना लोनी तह. व जिला गाजियाबाद मै.बांके बिहारी इन्फ्रा होम्स प्रा0लि0 बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दि. 12.5.14 ----- ग्राम नूनार प. लोनी खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420 फ के खता न. 1102 के खसरा न. 962मि. रकबा 0.8380 है. वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या, शासनदेशों के क्रम मे स्टप्प अपवंचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं निर्माण व भू. उपयोग परीवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम सं. 1 सन 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) संबंधी प्राविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे, अकुधिक खोपित किया जाता है। एसडी0 कुणाल सिलकू उपजिलाधिकारी गाजियाबाद / सहा0 कले0 प्रथम श्रेणी गा0बाद। ह.अ.र.का. 16.9.14। 1422-फ. अमर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिचाई गा.बाद कीरिपोर्ट		